कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :–शिविरा–माध्य / पेंशन–अ / 34925 / पी–2 / 2012 दिनांक :– 28.05.2020

अति–आवश्यक

स्मरण–पत्र

समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा परिक्षेत्र
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय ।

विषय :– बकाया पेंशन प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर रिपोर्ट भेजनें बाबत ।
प्रसंग :– क्रमांक :–शिविरा–माध्य / स्थिरी–अ / 34926 / 13 दिनांक 09.12.2019 एवं 06.05.2020 के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र दिनांक 06.05.2020 तक के बकाया पेंशन प्रकरणों की स्थिति जिला एवं संभाग स्तर पर संकलित कर मासिक सूचना निर्धारित प्रपत्र 01 से 08 तक दिनांक 15.05.2020 तक ई–मेल आई.डी. caosecedu@gmail.com पर आवश्यक रूप से चाही गई थी जो कि आज दिनांक अपेक्षित है । अतः संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग जोधपुर माह फरवरी–2020, संभाग अजमेर व भरतपुर के माह मार्च, 2020 व संभाग उदयपुर व कोटा की पेंशन सूचना माह 04 / 2020 से बकाया चल रही है । उक्त सूचना शीघ्र संकलित कर भिजवाये जानें की कार्यवाही कर दिनांक 05.06.2020 तक आवश्यक रूप से उपरोक्त ई–मेल आई.डी. पर भिजवाई जाना सुनिश्चित करें ।

आपके एवं अधीनस्थ कार्यालयो के बकाया पेंशन प्रकरण जो पेंशन विभाग को नहीं भेजे गये है तथा पेंशन विभाग से आक्षेपित होकर वापिस प्राप्त हुए है । बकाया पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में शिथिलता को निदेशक महोदय द्वारा गंभीर माना है । अतः बकाया पेंशन प्रकरणों का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारित करवाने का श्रम करें । बकाया पेंशन प्रकरणो की नियमित मोनेटरिंग संयुक्त निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्तर पर की जावे । कोई भी पेंशन प्रकरण लम्बे समय तक बकाया न रहे इस बात की सुनिश्चितता की जावे । विलम्ब के लिए उतरदायी अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं पेंशन नियम 89 के तहत पेंशन में विलम्ब के प्रकरणों में ब्याज के सम्बन्ध में उतरदायित्व निर्धारित किया जावे । अपने अधीनस्थ समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालयो को अपनें स्तर पर इस सम्बन्ध में निर्देशित करें ।

उक्त निर्देशो के मध्य नजर निदेशक महोदय द्वारा बकाया पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में कार्मिको के पेंशन प्रकरण में विलम्ब को गंभीर लापरवाही की श्रेणी में लिया जाकर दोषी कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानें के निर्देश दिये है । अतः प्रकरण में त्वरित कार्यवाही सम्पन्न कर इस कार्यालय को अवगत करावें ।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालयो को बकाया पेंशन प्रकरण के निस्तारण दिनांक 05.06.2020 तक कराया जाकर अपनें नियंत्रण अधिकारी को रिपोर्ट करें ।

2. कम्प्यूटर अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करें ।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर